

**एक नजर**

**डीएम के खिलाफ गैर**

**जमानती वारंट**  
बेगूसराय (बिहार)। जिले की एक अदालत ने सहस्रा सहित के डीएम आर लक्ष्मण और एक अन्य बीरो राम के खिलाफ एक महिला और उसके पुत्र से दुर्व्यवहार के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। बरौनी के अमरपुर गाँव निवासी गौरी राय और उनकी पत्नी ने प्रिंशुषु आर्यएस आर लक्ष्मण सहित छह लोगों पर 18 अप्रैल 2006 को मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि उनकी निजी जमीन पर सड़क बना दिए जाने को लेकर जब वे अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मण से मिलने गए तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया। लक्ष्मण वर्तमान में सहस्रा के डीएम है।

**आईजी निलंबित**

भोपाल। मुंबई आतंकी हमले के अभियुक्त अजमल आमिर कसाब की तारीफ करना स्पेशल आर्म फोर्सज (एसएफए) के आईजी राजेन्द्र कुमार को महंगा पड़ गया। राज्य सरकार ने उनका तबादला पुलिस मुख्यालय भोपाल कर दिया है। सरकार ने बुधवार को यह एलान किया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेन्द्र ने मंगलवार को इंदौर में निशानेबाजी प्रतियोगिता के दौरान कसाब की यह कहकर तारीफ की थी कि अपनी लगन के चलते आठवीं पास कसाब ने सालभर में ही हर हथियार चलाने में महारत हासिल कर ली थी। राजेन्द्र ने हालाँकि बाद में सफाई दी थी कि मीडिया ने उनका बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया।

**कोर्ट जाएँगे ऑपरेटर**

नई दिल्ली। नोएडा में टॉवर सील किए जाने से गुरसाए मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय में जन की धमकी दी है। प्राधिकरण ने 250 टूरसंचार टावरों को सील कर दिया है। प्राधिकरण ने वरिष्ठकोर्ट को संपादन-निर्देशों का पालन नहीं करने और रेंजिडेंट डेवलपेर एसोसिएशनों (आइडब्ल्यूए) से सहला-सहारा नहीं करने का आरोप लगाया है। सीपीएम परिषदाओं के संपादन-निर्देशों के महासचिव एससी खन्ना ने कहा, 'हमने टूरसंचार नियामक द्वारा से मुलाकात की लेकिन हमें कोई सहत नहीं मिली। ट्राई का कहना है कि वह इस पर परामर्श पर लार्गेंगे। खन्ना ने कहा, 'हम हाईकोर्ट लेखक का दरवाजा खटखटाती की योजना बना रहे हैं।'

**प्रसार भारती के सीईओ को अवमानना नोटिस**

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीएस लाली को लोक प्रसारक के कामकाज पर न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति एसएन भंडारी ने लाली से जानना चाहा कि प्रसार भारती के कामकाज के बारे में अदालत के पिछले आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। उनसे आठ अपील तक जवाब माँगा गया है। याचिका केंद्र की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लाली बॉर्ड के सभी सदस्यों के साथ बेटक बुलाने के अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं जिससे प्रसार भारती बॉर्ड के कामकाज में अस्तुलन और कमजोरी आई है।

**धर्मन्द् की जमीन पर कब्जा**

लुधियाना। अभिनेता धर्मन्द् के जमीन के एक प्लॉट पर एक व्यक्ति ने कब्जा तोर पर कब्जा कर लिया है और इसे देखभाल करने वाले से खरीदने का वह दावा कर रहा है। धर्मन्द् का पेट्टक गाँव लुधियाना में है और अतिरन्गर मुहल्ले में 670 गज के प्लॉट सहित कई भूखंडों के वह मालिक है। पुलिस ने कहा कि अब्दुल खदूस नाम के व्यक्ति ने इस 670 गज जमीन को समुचित तरीके से खरीदने का दावा किया है। खदूस का दावा है कि उसने यह जमीन धर्मन्द् के कब्रील बनरथाय लाली से खरीदी है। लाली ने भूखंड पर बने मुख्य गेट को नष्टकर पाया था और उसके बाद रविवार को उसने पुलिस से संर्कट किया। पुलिस ने कहा कि खदूस ने जमीन पर अपना दावा किया है और इसे पुख्ता करने के लिए जमीन के कागजात भी पेश किए। बहरहाल वकील लाली ने पुलिस से कहा कि कागजात फर्जी है।

**‘निशांत-15’ सफल**

बंगलूर। मानसरेवित मिशन 'निशांत-15' ने बुधवार को सफल उतार भरती। 29 जनवरी को इसमें उड़ान के दौरान गड़बड़ी आई गी थी और उसके बाद बसे धीरे-धीरे उतरा गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार को कहा, 'इसकी 30 वीं उड़ान के दौरान सभी प्रणालियाँ सामान्य तरीके से काम कर रही थी। मिशन पूरी तरह सफल रहा।' उड़ान का परीक्षण यहाँ एडीई में किया गया।

**आपके अंदर का हर हाल बताएँगे कार्बन क्वाण्टम**



बार-बार एक्सरे और एमआरआई स्कैन से शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचता है। अभी तक मानव शरीर के अंदर की हड्डियों व अन्य जीवित उत्तकों की स्थिति देखने के लिए कोई अन्य माध्यम भी नहीं था। लेकिन अब पानी में घुलनशील कार्बन के एक ऐसे

**कैसे होगा मददगार**

पानी के साथ इन कार्बन क्वाण्टम को घोलकर आपके शरीर के जरूरी हिस्से में प्रवेश करा दिया जाएगा। इसके पश्चात आवश्यक उपकरण से संबंधित आंतरिक अंगों, ऊतकों व कोशिकाओं की स्थिति का अध्ययन किया जा सकेगा।

**यहाँ भी होंगे कारगर**

इसके माध्यम से किसी दवा से पड़ने वाले जेनेटिक प्रभाव, शरीर में कोई वायरस कहीं-कहीं आना अन्तर दिखा रहा है इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। अभी तक प्रयोग होने वाले तमाम माध्यमों से जीवित कोशिकाओं का अध्ययन तो किया जाता रहा है लेकिन उनकी हर स्तर पर मॉनिटरिंग कहीं न कहीं कूट जाती थी।

अवयव को तैयार किया गया है जो शरीर के किसी भी खास हिस्से में पहुँचा कर उस अंग का पूरा आंतरिक हाल जाना जा सकता है और वो भी बिना किसी शारीरिक नुकसान के। इन्हें ही नाम दिया गया कार्बन क्वाण्टम डॉट्स...



**कैंसर**  
की कोशिकाओं का अध्ययन करना हो या फिर डेगू फैलाने वाले एनाफिलीजिस मच्छर की बढ़ती तादद को काबू करना हो हर किसी काम में कामयाब साबित हो सकता है ये कार्बन क्वाण्टम डॉट्स।

**इन्होंने किया रिसर्च**

आईआईटी कानपुर में रसायन विभाग के प्रोफेसर सुधासादी सरकार ने अपने इस रिसर्च को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आयोजित रसायन विभाग के सेमिनार में देशभर से आये रसायन शारित्रियों के बीच प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में बायो इमेजिंग आवश्यक होता है। छोटी से छोटी दुर्घटना हो या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हर मीक्रे पर बायो इमेजिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कार्बन क्वाण्टम डॉट्स भविष्य में काफी कारगर होंगे।



प्रस्तुति-प्रशांत कुमार झा

**ऐसे किया गया रिसर्च**

प्रोफेसर सरकार ने इस रिसर्च के लिए फूट मक्खी ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसके शरीर में कार्बन क्वाण्टम डॉट्स युक्त पानी प्रवेश कराया। इसके बाद उन्होंने पाया कि उसके अंदर का हर अंग जुगनू की तरह चमक रहा था जिससे उसका हर अंग स्पष्ट दिख रहा था। इसके बाद भी उन्होंने फ्लोरोसेंट प्रभाव का अध्ययन अन्य कौट पतियों पर जारी रखा और पाया कि मच्छरों के जीवन चक्र को नियंत्रित करने में भी यह काफी कारगर साबित हो सकता है।

**चयनित होना नियुक्ति की गारंटी नहीं**

कोर्ट ने कहा, प्रतीक्षा सूची वाले नहीं कर सकते नियुक्ति का दावा

**श्याम सुमन**  
नई दिल्ली

न्यूनतम पास मार्क हासिल कर सफल उम्मीदवारों की सूची में आने वाले सभी उम्मीदवार नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। तय रिक्तियाँ मेरिट के आधार पर भरने के बाद बचे हुए उम्मीदवारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता न ही उन्हें भविष्य में पैदा होने वाली रिक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह व्यवस्था देते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस के.जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल बेंचर्स के लिए एक एव लेकिन प्रतीक्षा सूची में रखे कुछ उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि अगले वर्ष फिर 13 रिक्तियाँ पैदा हईं हैं, लेकिन इन रिक्तियों को प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों से नहीं भरा जा सकता। यदि ऐसा होगा तो कई वर्ष तक भर्तियाँ करने

की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रतीक्षा सूची से ही पद भर जाते रहेंगे।

फैसले में जस्टिस बीएस चौहान ने कहा कि यह कार्रवाई अनुच्छेद 14 तथा 16(1) का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि अधिसूचित रिक्तियाँ मेरिट के आधार पर भर ली गई हैं तो चयन प्रक्रिया समान समझ ली जाती है। प्रतीक्षा सूची आदि को उन रिक्तियों के भंडार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो पहली रिक्त अधिसूचना/ विज्ञापन के बाद अस्तित्व में आई हैं। कानून में भविष्य की रिक्तियों को भरने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रतीक्षा सूची बनाने का उद्देश्य यह है कि यदि कोई सफल उम्मीदवार किसी वजह से सेवा ज्वाइन नहीं करता है तो उसके बदले प्रतीक्षा सूची में सबसे ऊपर स्थिति को आगे बढ़कर नियुक्त किया जाता है। यह मामला तब शीर्ष अदालत में आया जब हाईकोर्ट ने प्रतीक्षा सूची से दो अन्य उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश दिया। ये नियुक्तियाँ तब लाला उसे बहाल होने पर ही मिलीं। सीबीआई ने मंत्रालय में डेस्क अधिकारी आरके चोपड़ा को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत चार्जशीट किया था।

निलंबित कर्मों को वेतन आयोग का लाभ नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेतन से निलंबन के दौरान यदि नया वेतनमान लागू होता है तो निलंबित कर्मचारी वेतन, भत्ते बढ़ाने का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कैट और दिल्ली हाईकोर्ट का वह फैसला रद्द कर दिया जिसमें उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के निलंबित कर्मचारी को पाँचवें वेतन आयोग के अनुसार गुजारा भत्ता बढ़ाने का आदेश दिया गया था। जस्टिस आरबी रविंद्रन और केएस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि कैट के वेतन संशोधन नियम में व्यवस्था है कि कर्मचारी वेतन संशोधन की तारीख से पूर्व निलंबित होता है तो उसे वेतन तथा गुजारा भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। लेकिन यदि वेतन संशोधन निलंबन के दौरान लागू होता है तो यह लाला उसे बहाल होने पर ही मिलेगा। सीबीआई ने मंत्रालय में डेस्क अधिकारी आरके चोपड़ा को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत चार्जशीट किया था।

**ट्रेन में मिलेगा टेस्टी फूड**

खानपान की व्यवस्था आईआरसीटीसी से छीन कर रेल के जिम्मे करने की तैयारी

**अमिताभ पाराशर**  
नई दिल्ली

अब आगू ट्रेनों में बेहतर क्वालिटी वाला खाना मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। रेलवे खानपान नीति में भारी बदलाव कर सकता है। आगामी दीदी वजट में रेल मंत्री मनमोहन बनर्जी इसकी घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, पूरी संभावना है कि सार्वजनिक उपक्रम आईआरसीटीसी (भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम) से खानपान की व्यवस्था लेकर खुद रेल मंत्रालय अपने विभाग को सौंप दे। ट्रेनों में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता में गिरावट की शिकायतें लगातार आती रही हैं। रेल मंत्री ने आम यात्रियों के लिए सस्ता और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराते की जरूरत की बात कही। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के

**मैदानों में ओले और बारिश के आसार**

नई दिल्ली। जनवरी में ठंड और कोहरे के बाद अब बर्फबारी और बारिश के लिए तैयार रहें। मौसम विभाग ने 6 से 9 फरवरी के बीच उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में भारी हिमपात और मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि और अच्छी बारिश होने की सम्भावना जताई है। पाँच फरवरी से उत्तरी राज्यों के ऊपर एक शक्तिशाली पश्चिमी गड़बड़ी होने के कारण ऐसा होगा। मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है।

मौसम विभाग के निदेशक बीपी यादव ने बताया कि इस दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भारी हिमपात होने के आसार हैं। ऐसा आमतौर पर जनवरी के दूसरे रफते में होता है लेकिन इस बार इसमें विलंब हो रहा है। जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार में भारी बारिश और ओले पड़ने की संभावना है। इसके फिर तापमान में गिरावट आएगी। खेती के लिए लिहाज से बारिश फायदेमंद साबित होगी क्योंकि खेतों में उग चुके गेहूँ को पानी मिल जाएगा। लेकिन यदि ज्यादा ओले गिरें तो फसलों को क्षति पहुँच सकती है।

**टाकारे ने की थी दारुद के समधी की खिदमत**

दारुद के समधी जावेद मियाँदाद की खिदमत की थी बाल टाकारे ने। अब नवाब मलिक ने उनसे पूरे देश से माफ़ी मांगने को कहा



शिवसेना ने कभी भी मुंबई को भारत से अलग करने की बात नहीं की। हमें देश को बाँटने वाली कांग्रेस से सीख नहीं चाहिए



शाहरुख खान का घर 'मन्नत' भारत में है न कि पाकिस्तान में। वह देश के लिए खतरा है

संजय राउत, नेता शिवसेना धमकी दी है और उनसे माफ़ी मांगने को कहा है। वर्ष 2004 में जावेद मियाँदाद मुंबई आए थे और मातोश्री में टाकारे परिवार ने उनकी जमकर खिदमत की थी सम्मान में शिवसेना प्रमुख बाल टाकारे और उद्भव टाकारे के साथ मनसे अध्यक्ष राज टाकारे ने भी जावेद मियाँदाद के साथ फोटो खिचवाया था।

**शाहरुख के साथ आया बॉलीवुड**

मुंबई। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेने संबंधी बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान के बयान और उसपर माफ़ी न मांगने के ऐलान पर शिवसेना ने उन्हें अमेरिका से वापस मुंबई आकर बोलने की सुनौती दी है। उधर, शिवसेना की इस हदकर्म के खिलाफ बॉलीवुड की अनेक हस्तियाँ किंग खान के समर्थन में उतर आई हैं। यहां तक कि शिवसेना की सहयोगी भाजपा ने भी शाहरुख का पक्ष लिया। शिवसेना नेता संजय राउत शाहरुख को धमकते हुए कहा है कि वह मुंबई आकर मन्नत नहीं मांगने का बयान देकर दिखाएँ। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका मान्यत बंद है न कि पाकिस्तान में। शिवसेना के विरोधी की वजह से सिनेमाघरों के मालिकों ने शाहरुख की आने वाली फिल्म मय नेम इज खान के पोस्टर उतार दिए हैं और फिल्म न दिखाने का फैसला लेने वाले हैं।

**भैंस का दूध है अमृत के ज्यादा करीब**

**विजेन्द्र रावत**  
नई दिल्ली

कामधेनु कही जाने वाली गाय का दूध भले ही अमृत समान माना जाता रहा है पर वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हर लिहाज से गाय के मुकाबले भैंस का दूध अत्यन्त है। पशु वैज्ञानिकों के मुताबिक उनके शोध बताते हैं कि गाय को जगह भैंस के दूध को सेहत के लिए अमृत समान कहना बेहतर होगा। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) करनाल में हुए इस अनुसंधान में भैंस के दूध में दिल की बीमारी के प्रमुख कारक कोलस्ट्रॉल को गाय के दूध के मकाबले 50 प्रतिशत



110 मिलियन टन है भारत में कुल वार्षिक दुग्ध उत्पादन 56 फ़ीसदी दूध भैंस का 18 करोड़ पालतू भैंस हैं दुनिया में, जिन्हां से 10 करोड़ भारत में भारत की मुराँ तथा पाकिस्तान की कुड़ी नरसु दुनिया में सर्वश्रेष्ठ

कम पाया गया। जबकि जरूरी पोषक तत्वों जैसे - कैल्शियम, आयरन तथा फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा पाई गई।

**ईयू के कंधमाल दौरे का विरोध**

भुवनेश्वर। उड़ीसा के कंधमाल जिले के दंगल पोंड्रितों से रू-ब-रू होने आए यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रति निधिमंडल का विरोध करने के लिए बजरंग दल के पाँच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन कार्यकर्ताओं को मंगलवार

रात हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। जैसे ही 11 सदस्यीय प्रति निधिमंडल हवाई अड्डे से बाहर निकला, कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। भारी सुरक्षा के बीच उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

**भारत सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**  
**जैवप्रौद्योगिकी विभाग**  
**डॉ. जगदीश चन्द्र बोस हिन्दी ग्रन्थ लेखन पुरस्कार योजना - वर्ष 2009**

जैवप्रौद्योगिकी विभाग डॉ. जगदीश चन्द्र बोस हिन्दी ग्रन्थ लेखक पुरस्कार योजना - 2009 के लिए केवल भारत के नागरिकों से जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर प्रकाशित मौलिक हिन्दी पुस्तकें निर्धारित आवेदन प्रोफार्मा में आमंत्रित करता है। इस योजना के अंतर्गत 1,00,000/- रुपये का प्रथम पुरस्कार (एक), 50,000/- रुपये का द्वितीय पुरस्कार (एक), 25,000/- रुपये का तृतीय पुरस्कार (एक) तथा 10,000/- रुपये प्रत्येक के प्रोत्साहन पुरस्कार (दो) दिये जायेंगे।

डॉ. जगदीश चन्द्र बोस हिन्दी ग्रन्थ लेखन पुरस्कार योजना - वर्ष 2009 के अंतर्गत केवल ऐसी प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाएगा जो पुरस्कार वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित हुई हों। जिन पुस्तकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के किसी भी विभाग से पहले पुरस्कार मिल चुका हो या जिन पुस्तकों पर इस प्रतियोगिता में पहले विचार किया जा चुका है या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका है उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। एक लेखक किसी वर्ष विशेष के लिए अपनी एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है।

योजना का विस्तृत विवरण तथा आवेदन फार्म विभाग की वेबसाइट <http://www.dbtindia.gov.in> या <http://www.dbtindia.nic.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत भरे हुए आवेदन फार्म तथा पुस्तकों की 5 प्रतियाँ निम्नलिखित पते पर 30 अप्रैल, 2010 तक अवश्य पहुँच जानी चाहिए। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**श्री फकीर चंद, उप निदेशक ( रा.भा.), जैवप्रौद्योगिकी विभाग, कमरा नं. 610, ब्लॉक-2, सी जी ओ ऑफ़िस्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24363989**

डॉ.ए.वी.पी. 36301/11/0029/0910 1875972-1

**कार्यालय-प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पकवाड़नार, बलिया**

**विवृति**  
विवृति बी.टी.सी. प्रशिक्षण 2008 (विशेष चयन) के संदर्भ में निर्गत सासनादन दिनांक 14.11.2008 तथा 29.10.2009 के क्रम में जांच सूची- विज्ञान/ तृतीय के उपरिष्ठ एव प्रमावेदन के अर्ह अर्थवर्धियों को सम्मिलित करते हुए वरीतना क्रम में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित वर्ग की वरिणा/ श्रेणीवार अनन्तिम चयन सूची-उपक्रम निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित अनन्तिम चयन सूची एवं कट ऑफ़ मेरिट का विवरण संस्थान/ जिला विद्यालय निदेशक कार्यालय/ जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर चर्या है।

इस अनन्तिम सूची-पट्टम के अर्थवर्धी वेबसाइट [www.hallia.nic.in](http://www.hallia.nic.in) पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। अनन्तिम चयन सूची-पट्टम से सम्बन्धित अर्थवर्धी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र, प्रमाण पत्र (प्रशिक्षण सत्र की संख्या को पून-सी.टी.ई. द्वारा मान्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र) जाति आरक्षण प्रमाण पत्र, (महिला अर्थवर्धियों को दशा में पिता पत्र का जाति प्रमाण पत्र) विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं 10.00 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर फोटोयुक्त शपथ पत्र तथा सभी प्रमाण पत्रों को दो सेट स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियाँ, पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांक सम्बन्धित वर्ग/ श्रेणी के सम्मुख अंकित तिथियों में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक संस्थान पकवाड़नार, बलिया में उपस्थित होकर मूल अभिलेख जमा करें।

वर्ग/ श्रेणी	गुणांक	मूल अभिलेख जमा करने की तिथि
महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ कला	228.50	10.02.2010 एवं 11.02.2010
पुरुष/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ कला	254.92	10.02.2010 एवं 11.02.2010
पुरुष/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शिक्षा मित्र	202.60	10.02.2010 एवं 11.02.2010
महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विज्ञान (द्वितीय चयन सूची)	247.06	10.02.2010 एवं 11.02.2010
पुरुष/ अनुसूचित जाति/ कला	215.51	15.02.2010 एवं 16.02.2010

**नोट:-** (1) यह अनन्तिम चयन सूची है जो अर्थवर्धियों के मूल अभिलेखों की जांच के अधीन होगी। (2) यह अनन्तिम चयन सूची रिक्त सीटों के सापेक्ष कई गुना है। रिक्त सीट से अधिक मूल अभिलेख जमा होने का दशा में वरीतना क्रम में अभिलेख स्वीकार कर न्यून गुणांक के अर्थवर्धियों के मूल अभिलेख वापस कर दिने जायेंगे। (3) अर्थवर्धी यदि निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित होकर मूल अभिलेख जमा करने का प्रयत्न करते हैं तो भविष्य में उनके अर्थवर्ध/ चयन पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनका अर्थवर्ध निरस्त करते हुए वरीतना क्रम में अर्ह अर्थवर्धी के चयन पर विचार किया जायेगा और भविष्य में कोई दया स्वीकार नहीं किया जायेगा। (4) रिक्त सीट के सापेक्ष महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ कला, गुणांक 230.27 तक तथा पुरुष/ अनुसूचित जाति/ कला, गुणांक 216.19 तक के अर्थवर्धियों को मूल अभिलेख जमा करने हेतु न्यूनतम पर प्रेषित किया जा रहा है। मूल अभिलेख जमा होने के बाद रिक्त सीट की दशा में वरीतना क्रम से अर्थवर्धियों को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया जायेगा। (5) जारी अनन्तिम चयन सूची मा. उच्च न्यायालय/ मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं किसी विधिकीय वृत्ति के संघान के अधीन होगी।

प्राचार्य-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पकवाड़नार, बलिया

प्रांक डब्ल्यू/6596-6597/2009-10/ दिनांक 2.02.2010

